



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी गुलशन उर्फ गुल्लू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000 रुपये अर्धदण्ड की सजा-



नरेंद्र सिंह पंवार
एडीजीसी



हेमन्त कुमार
कोर्ट पैराकार

अवगत कराना है कि वर्ष 2023 में अभियुक्त गुलशन उर्फ गुल्लू पुत्र सतीश निवासी ग्राम नवादा थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 154/23 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 19.11.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त गुलशन उर्फ गुल्लू को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000 रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 19.11.25

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 279/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटरसाईकिल बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.11.25 को थाना छपरौली पर वादी श्री वंश कमल निवासी कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की मोटरसाईकिल चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 279/25 धारा 303/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 279/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटरसाईकिल नम्बर यूपी-25टी-2955 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- मनीष पुत्र देवेन्द्र निवासी नंगला थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2- विनित उर्फ कबूतर उर्फ रसगुल्ला पुत्र वीरसैन निवासी सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई 01 मोटरसाईकिल नम्बर यूपी-25टी-2955

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमित गोला थाना छपरौली।
- 2-का0 597 प्रेमपाल सिंह थाना छपरौली।
- 3-का0 511 धर्मेन्द्र कुमार थाना छपरौली।
- 4-का0 411 पीयूष थाना छपरौली।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 19.11.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 386/25 धारा 191(2),191(3),131,352,125,115(2),109(1),351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 20 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 डंडे व 01 सरिया बरामद ।

संक्षिप्त

विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 19-11-2025 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम डौला में 02 पक्षों में किसी बात को लेकर आपस में डंडे व सरिया से मारपीट हो रही है। सूचना पर थाना सिंघावली



अहीर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर झगड़े को शांत कराया गया तथा मारपीट करने वाले दोनों पक्षों के अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 386/25 धारा 191(2),191(3),131,352,125,115(2),109(1),351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया, दोनों पक्षों के मारपीट करने वाले 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 डंडे व एक सरिया बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.आमिर पुत्र उस्मान उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2 शाकिर पुत्र शब्बीर उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3. शहजाद पुत्र शब्बीर उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
4. अमरीश पुत्र सत्तार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
5. शकील पुत्र मौहम्मद अली उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
6. अली मौहम्मद पुत्र हसमू उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
7. राकिब पुत्र शाबिर उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
8. वाहिद पुत्र जाहिद उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
9. सादाब पुत्र नजरु उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
10. आसिफ पुत्र साकिर अली उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
11. यूनुस पुत्र शरीफ उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
12. अकरम पुत्र जाकिर उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
13. गुलजार पुत्र निजामू उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
14. राशिद पुत्र साबर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
15. शानू पुत्र महबूब उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 16- इरशाद उर्फ भूरा पुत्र शाबिर उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 17- गुलजार पुत्र हनीफ उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 18- दिलदार पुत्र हनीफ उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 19-सलमान पुत्र नफीस उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 20- नाजिम पुत्र शौकत अली उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण –

- 03 डंडे ।
- 01 सरिया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री प्रियवृत्त आर्य थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
2. है० का० 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
3. है० का० 0410 राजबीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
4. है० का० 743 अमित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
5. का० 23 अजयपाल थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
6. का० 579 कौशल शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।